elefin

इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर (IB) अनुबंध



विषय-सूची

पृष्ठ संदर्भ इस अनुबंध की मुख्य धाराओं को दर्शाते हैं।

1. परिचय 4

2. परिभाषाएँ 4

3. एफ़िलिएट आवेदन और नियुक्ति 6

4. एफ़िलिएट के अधिकार और दायित्व 6

5. कंपनी के अधिकार और दायित्व 7

6. कमीशन की गणना और भुगतान 7

7. प्रचार सामग्री का उपयोग 9

8. प्रचार संबंधी प्रतिबंध 10

9. डेटा संरक्षण और गोपनीयता 11

10. गोपनीयता (कॉन्फ़िडेंशियलिटी) 12

11. निलंबन, संशोधन और समाप्ति 12

12. क्षतिपूर्ति 13

13. ग्राहक शिकायतें 14

14. सूचनाएँ और संचार 15

15. संपूर्ण अनुबंध 15

16. एफ़िलिएट के अभ्यावेदन और आश्वासन 15

17. दायित्व की सीमा 16

18. अप्रत्याशित घटना (फ़ोर्स मेज्योर) 17

19. पक्षों के बीच संबंध 17

20. समनुदेशन और अंतरण 18

21. पृथक्करणीयता और अधित्याग का अभाव 18

22. लागू कानून और क्षेत्राधिकार 19

23. भाषा 19

24. उत्तरजीविता 19

25. एफ़िलिएट के प्रकार और कमीशन मॉडल 19

26. सब-एफ़िलिएट और रेफ़रल एजेंट 20

1. परिचय

1.1 यह एफ़िलिएट अनुबंध ("अनुबंध") Elefin Ltd ("कंपनी") और उसके एफ़िलिएट के रूप में स्वीकार किए गए व्यक्ति या संस्था ("एफ़िलिएट") के बीच किया जाता है। दोनों को संयुक्त रूप से "पक्ष" कहा जाता है।

1.2 यह अनुबंध पक्षों के बीच सहयोग की शर्तें निर्धारित करता है, जिनमें कंपनी को ग्राहकों का रेफ़रल और एफ़िलिएट को कमीशन का भुगतान शामिल है।

2. परिभाषाएँ

इस अनुबंध में:

"खाता" (Account) का अर्थ है किसी ग्राहक द्वारा खोला गया और कंपनी द्वारा अनुमोदित ट्रेडिंग खाता।

"एफ़िलिएट" (Affiliate) का अर्थ है कंपनी द्वारा एफ़िलिएट प्रोग्राम में स्वीकार किया गया कोई व्यक्ति या कानूनी संस्था।

"एफ़िलिएट खाता" (Affiliate Account) का अर्थ है एफ़िलिएट का वह ऑनलाइन खाता जिसका उपयोग रेफ़रल जानकारी, रिपोर्ट और कमीशन विवरण तक पहुँचने के लिए किया जाता है।

"एफ़िलिएट लिंक" (Affiliate Link) का अर्थ है एफ़िलिएट को प्रदान किया गया अद्वितीय ट्रैकिंग लिंक या रेफ़रल कोड।

"एफ़िलिएट प्रोग्राम" (Affiliate Program) का अर्थ है कंपनी का वह कार्यक्रम जिसके माध्यम से एफ़िलिएट ग्राहकों का परिचय करा सकते हैं और कमीशन अर्जित कर सकते हैं।

"एफ़िलिएट साइट" (Affiliate Site) का अर्थ है कोई वेबसाइट, एप्लिकेशन, सोशल मीडिया पेज या अन्य चैनल जिसका उपयोग एफ़िलिएट कंपनी के प्रचार के लिए करता है।

"अनुबंध" (Agreement) का अर्थ है यह एफ़िलिएट अनुबंध, लागू कमीशन योजना और इसमें स्पष्ट रूप से समाविष्ट कोई भी शर्तें।

"लागू कानून" (Applicable Laws) का अर्थ है कंपनी, एफ़िलिएट या उनकी गतिविधियों पर लागू सभी कानून, विनियम और नियामक आवश्यकताएँ।

"कार्य दिवस" (Business Day) का अर्थ है शनिवार, रविवार या सेंट लूसिया में सार्वजनिक अवकाश के अतिरिक्त कोई भी दिन।

"ग्राहक" (Client) का अर्थ है कंपनी द्वारा खाता खोलने के लिए स्वीकार किया गया कोई व्यक्ति या कानूनी संस्था।

"ग्राहक अनुबंध" (Client Agreement) का अर्थ है कंपनी और किसी ग्राहक के बीच संबंध को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें।

"कमीशन" (Commission) का अर्थ है इस अनुबंध और लागू कमीशन योजना के अंतर्गत एफ़िलिएट द्वारा अर्जित कोई भी भुगतान।

"कमीशन योजना" (Commission Plan) का अर्थ है एफ़िलिएट खाते में प्रदर्शित या कंपनी द्वारा अन्यथा सूचित वर्तमान कमीशन दरें, गणना विधियाँ, पात्रता शर्तें और भुगतान व्यवस्थाएँ।

"कंपनी वेबसाइट" (Company Website) का अर्थ है कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और कंपनी द्वारा संचालित कोई अन्य डोमेन।

"धोखाधड़ीपूर्ण ट्रैफ़िक" (Fraud Traffic) का अर्थ है गैरकानूनी, भ्रामक, कृत्रिम या दुर्भावनापूर्ण तरीकों से उत्पन्न पंजीकरण, जमा, लेनदेन, क्लिक, इंस्टॉलेशन, इम्प्रेशन या अन्य गतिविधि। इसमें बॉट, क्लिक फ़ार्म, नकली खाते, चोरी की गई भुगतान विधियाँ, चार्जबैक, मिलीभगत, सिस्टम में हेरफेर, भ्रामक विज्ञापन और कमीशन उत्पन्न करने के उद्देश्य से दिए गए अनधिकृत प्रोत्साहन शामिल हैं।

"परिचित ग्राहक" (Introduced Client) का अर्थ है ऐसा ग्राहक जिसका पंजीकरण किसी एफ़िलिएट लिंक या कंपनी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य विधि के माध्यम से ट्रैक किया जाता है और एफ़िलिएट को सौंपा जाता है।

"प्रचार सामग्री" (Promotional Materials) का अर्थ है कंपनी द्वारा प्रदान या अनुमोदित कोई भी विज्ञापन, लोगो, बैनर, लिंक, पाठ, छवि, वीडियो या अन्य विपणन सामग्री।

"संभावित ग्राहक" (Prospective Client) का अर्थ है कंपनी से परिचित कराया गया ऐसा व्यक्ति जिसे अभी तक ग्राहक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

"योग्य ग्राहक" (Qualified Client) का अर्थ है ऐसा अद्वितीय परिचित ग्राहक जो:

a) एफ़िलिएट लिंक के माध्यम से रेफ़र किया गया था;

b) पहले से ग्राहक के रूप में पंजीकृत नहीं था;

c) लागू पात्रता अवधि के भीतर अपेक्षित KYC, जमा और ट्रेडिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है;

d) किसी अनुमोदित क्षेत्र में स्थित है;

e) धोखाधड़ीपूर्ण ट्रैफ़िक से जुड़ा नहीं है; और

f) स्वयं एफ़िलिएट, उसका स्वामी, निदेशक, कर्मचारी, प्रतिनिधि, परिवार का सदस्य, पति/पत्नी, माता-पिता, संतान या भाई-बहन नहीं है।

"पात्र लेनदेन" (Qualifying Transaction) का अर्थ है किसी परिचित ग्राहक द्वारा पूर्ण किया गया ऐसा बंद लेनदेन जो कमीशन पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करता है।

"प्रतिबंधित क्षेत्र" (Restricted Territory) का अर्थ है ऐसा कोई देश या क्षेत्र जहाँ कंपनी ग्राहकों को स्वीकार नहीं करती या प्रचार गतिविधियों की अनुमति नहीं देती, जैसा कि कंपनी द्वारा समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

"क्षेत्र" (Territory) का अर्थ है ऐसा कोई देश या क्षेत्र जिसमें कंपनी एफ़िलिएट को प्रचार गतिविधियाँ संचालित करने की अनुमति देती है।

3. एफ़िलिएट आवेदन और नियुक्ति

3.1 एफ़िलिएट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आवेदक को अपेक्षित आवेदन पूरा करना होगा और कंपनी द्वारा मांगी गई कोई भी जानकारी या दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे।

3.2 कंपनी अपने विवेकाधिकार पर किसी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है और उसे कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

3.3 इस अनुबंध को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार करके, एफ़िलिएट खाते का उपयोग करके या कमीशन स्वीकार करके, एफ़िलिएट इस अनुबंध से बाध्य होने के लिए सहमत होता है।

3.4 अनुमोदित होने के बाद, एफ़िलिएट को एफ़िलिएट लिंक के माध्यम से कंपनी से संभावित ग्राहकों का परिचय कराने का गैर-अनन्य और गैर-हस्तांतरणीय अधिकार प्रदान किया जाता है।

3.5 एफ़िलिएट के रूप में अनुमोदन किसी भी रेफ़रल, कमीशन या न्यूनतम आय स्तर की गारंटी नहीं देता।

4. एफ़िलिएट के अधिकार और दायित्व

4.1 एफ़िलिएट अनुमोदित प्रचार सामग्री का उपयोग करके कंपनी का प्रचार कर सकता है, एफ़िलिएट लिंक के माध्यम से संभावित ग्राहकों का परिचय करा सकता है और इस अनुबंध के अनुसार कमीशन प्राप्त कर सकता है।

4.2 एफ़िलिएट को कंपनी को सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान करनी होगी और किसी भी परिवर्तन की सूचना कंपनी को तुरंत देनी होगी।

4.3 एफ़िलिएट को ईमानदारी, व्यावसायिकता और सद्भावना से कार्य करना होगा, सभी लागू कानूनों का पालन करना होगा और कोई भी अपेक्षित लाइसेंस या प्राधिकरण बनाए रखना होगा।

4.4 एफ़िलिएट को झूठे या भ्रामक कथन नहीं करने चाहिए, लाभ की गारंटी नहीं देनी चाहिए, और स्वयं को कंपनी के कर्मचारी, एजेंट या अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

4.5 कंपनी के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रचार सामग्री को बदला नहीं जाना चाहिए या उसके अनुमोदित उद्देश्य के बाहर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

4.6 एफ़िलिएट को निवेश सलाह प्रदान नहीं करनी चाहिए, ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित नहीं करना चाहिए, किसी ग्राहक के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए, किसी ग्राहक के खाते का प्रबंधन नहीं करना चाहिए या उस तक पहुँच प्राप्त नहीं करनी चाहिए, और ग्राहक की धनराशि प्राप्त नहीं करनी चाहिए।

4.7 एफ़िलिएट को लागू गोपनीयता और विपणन कानूनों का पालन करना होगा और जहाँ आवश्यक हो, कंपनी के साथ अपने संबंध और प्राप्त किसी भी कमीशन का स्पष्ट प्रकटीकरण करना होगा।

4.8 एफ़िलिएट को अनुपालन समीक्षाओं, ग्राहक शिकायतों और जाँचों के संबंध में कंपनी के साथ सहयोग करना होगा और कोई भी मांगी गई जानकारी या दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे।

4.9 एफ़िलिएट को किसी भी ऐसी शिकायत, जाँच या नियामक कार्रवाई की सूचना कंपनी को तुरंत देनी होगी जो इस अनुबंध के अंतर्गत उसकी गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है।

4.10 एफ़िलिएट अपनी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले अपने स्वयं के व्यावसायिक व्ययों, करों, शुल्कों और अन्य प्रभारों के लिए उत्तरदायी है।

5. कंपनी के अधिकार और दायित्व

5.1 कंपनी इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन सद्भावना से करेगी।

5.2 कंपनी एफ़िलिएट को एक एफ़िलिएट लिंक तथा उपलब्ध प्रचार सामग्री, रेफ़रल रिपोर्ट और कमीशन जानकारी तक पहुँच प्रदान करेगी।

5.3 कंपनी इस अनुबंध और लागू कमीशन योजना के अनुसार परिचित ग्राहकों को ट्रैक करेगी, कमीशन की गणना करेगी और भुगतान करेगी।

5.4 स्पष्ट त्रुटि के मामले को छोड़कर, ग्राहक का आरोपण (attribution), ट्रेडिंग गतिविधि और कमीशन की गणना कंपनी के अभिलेखों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

5.5 कंपनी किसी भी संभावित ग्राहक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है और अपनी नीतियों तथा लागू कानूनों के अनुसार किसी भी ग्राहक संबंध को निलंबित या समाप्त कर सकती है।

5.6 सभी परिचित ग्राहक कंपनी के ही ग्राहक बने रहते हैं। ग्राहक पंजीकरण, सत्यापन, खातों, सेवाओं और व्यक्तिगत डेटा पर कंपनी का एकमात्र नियंत्रण है।

5.7 कंपनी एफ़िलिएट की गतिविधियों और एफ़िलिएट साइट की निगरानी कर सकती है और एफ़िलिएट से इस अनुबंध का अनुपालन न करने वाली किसी भी सामग्री को संशोधित करने या हटाने की अपेक्षा कर सकती है।

5.8 कंपनी संदिग्ध धोखाधड़ी, दुरुपयोग या इस अनुबंध के उल्लंघन की जाँच कर सकती है और जाँच जारी रहने तक एफ़िलिएट खाते, एफ़िलिएट लिंक या कमीशन भुगतानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकती है।

5.9 कंपनी इस अनुबंध के संशोधन संबंधी प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं या कमीशन योजनाओं में परिवर्तन कर सकती है।

6. कमीशन की गणना और भुगतान

6.1 एफ़िलिएट धारा 25 में वर्णित किसी अनुमोदित कमीशन मॉडल के अंतर्गत कमीशन अर्जित कर सकता है।

6.2 कमीशन दरें और गणना विधियाँ कमीशन मॉडल, खाते के प्रकार, ट्रेडिंग साधन, ट्रेडिंग वॉल्यूम, स्प्रेड, ग्राहक की जमा राशि, ट्रैफ़िक स्रोत और कमीशन योजना में बताई गई अन्य शर्तों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं।

6.3 ट्रेडिंग कमीशन के लिए, केवल बंद लेनदेन ही पात्र होंगे। तीन (2) मिनट या उससे कम अवधि तक चलने वाला लेनदेन पात्र नहीं होगा। लेनदेन की अवधि की गणना पोज़िशन खोले जाने के समय से उसके बंद होने तक की जाती है।

6.4 "Close By", "Multiple Close By" या किसी समान फ़ंक्शन का उपयोग करके बंद किए गए लेनदेन कमीशन के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि कमीशन योजना में अन्यथा न कहा गया हो।

6.5 जहाँ ग्राहक की धनराशि में ट्रेडिंग क्रेडिट या बोनस शामिल हैं, वहाँ ट्रेडिंग कमीशन की गणना केवल ग्राहक की अपनी धनराशि द्वारा समर्थित भाग पर की जाएगी।

6.6 कोई कमीशन देय नहीं होगा जहाँ:

a) ग्राहक स्वयं एफ़िलिएट, उसका स्वामी, निदेशक, कर्मचारी, प्रतिनिधि, परिवार का सदस्य, पति/पत्नी, माता-पिता, संतान, भाई-बहन या कोई अन्य व्यक्ति है जिसका खाता एफ़िलिएट द्वारा प्रबंधित या नियंत्रित किया जाता है;

b) लेनदेन या अन्य गतिविधियाँ मुख्य रूप से कमीशन उत्पन्न करने के लिए की जाती हैं, जिसमें चर्निंग (churning) या कृत्रिम ट्रेडिंग शामिल है;

c) गतिविधि में धोखाधड़ीपूर्ण ट्रैफ़िक शामिल है या वह धोखाधड़ीपूर्ण, अपमानजनक, गैरकानूनी, भ्रामक है या दुर्भावना से की गई है;

d) कोई लेनदेन रद्द किया गया है, उलटा गया है या गलत अथवा गैर-बाज़ार मूल्य का उपयोग करके निष्पादित किया गया है;

e) कोई जमा राशि वापस की गई है, उलटी गई है या चार्जबैक के अधीन है;

f) खाता, साधन, सेवा, अभियान या गतिविधि कमीशन योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है;

g) ग्राहक सत्यापन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है या ग्राहक अनुबंध का उल्लंघन करता है;

h) एफ़िलिएट इस अनुबंध या लागू कानूनों का उल्लंघन करता है;

i) ग्राहक पहले से कंपनी के साथ पंजीकृत था, किसी अन्य चैनल के माध्यम से रेफ़र किया गया था या किसी अन्य एफ़िलिएट को आरोपित है; या

j) ग्राहक लागू पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता।

6.7 कंपनी संदिग्ध गतिविधि की जाँच कर सकती है और जाँच जारी रहने के दौरान या जहाँ धारा 6.6 के अंतर्गत कोई अपवर्जन लागू होता है, वहाँ कमीशन को विलंबित, रोक, पुनर्गणना या रद्द कर सकती है।

6.8 कमीशन एफ़िलिएट खाते या कमीशन योजना में प्रदर्शित बारंबारता, मुद्रा, न्यूनतम निकासी राशि और भुगतान अनुसूची के अनुसार जमा और भुगतान किया जाएगा। भुगतान सत्यापन और लागू भुगतान शुल्कों के अधीन रहते हैं।

6.9 कंपनी किसी भी अधिक भुगतान, चार्जबैक, धनवापसी, देयता या गलती से भुगतान किए गए कमीशन को वर्तमान या भावी कमीशन से काट सकती है।

6.10 कंपनी एफ़िलिएट खाते, कमीशन योजना या कंपनी वेबसाइट को अद्यतन करके कमीशन दरों, पात्रता आवश्यकताओं या गणना विधियों में परिवर्तन कर सकती है। परिवर्तन उनकी प्रभावी तिथि से भावी पात्र गतिविधि पर लागू होंगे।

6.11 कमीशन संबंधी कोई भी विवाद संबंधित रिपोर्ट या भुगतान के तीस (30) दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर कोई विवाद प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो रिपोर्ट या भुगतान को स्वीकृत माना जाएगा।

6.12 यदि किसी परिचित ग्राहक को एफ़िलिएट से अलग (unlink) कर दिया जाता है या किसी अन्य एफ़िलिएट को सौंप दिया जाता है, तो मूल एफ़िलिएट उस ग्राहक की भावी गतिविधि से कमीशन अर्जित नहीं करेगा।

6.13 भुगतान करने से पहले, कंपनी एफ़िलिएट से KYC या KYB सत्यापन पूरा करने, इस अनुबंध के अनुपालन की पुष्टि करने और यह प्रमाण प्रदान करने की अपेक्षा कर सकती है कि प्राप्तकर्ता खाता एफ़िलिएट का ही है।

6.14 गलत भुगतान जानकारी, अपूर्ण सत्यापन या मांगे गए दस्तावेज़ प्रदान करने में विफलता के कारण होने वाले भुगतान विलंब के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।

6.15 कमीशन केवल एफ़िलिएट द्वारा सीधे रेफ़र किए गए ग्राहकों के लिए देय है। किसी सब-एफ़िलिएट या रेफ़रल एजेंट के माध्यम से कोई कमीशन देय नहीं होगा, जब तक कि कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित न किया गया हो।

6.16 कंपनी तकनीकी त्रुटि, सिस्टम की ख़राबी, गलत गणना या दोहरे भुगतान के कारण जमा किए गए कमीशन को सुधार या उलट सकती है।

7. प्रचार सामग्री का उपयोग

7.1 एफ़िलिएट केवल कंपनी द्वारा प्रदान या अनुमोदित प्रचार सामग्री का ही उपयोग कर सकता है।

7.2 एफ़िलिएट द्वारा बनाई गई कोई भी सामग्री, जिसमें विज्ञापन, वेबसाइट, लैंडिंग पेज, सोशल मीडिया सामग्री, ईमेल और वीडियो शामिल हैं, प्रकाशन से पहले कंपनी का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

7.3 प्रचार सामग्री सटीक, निष्पक्ष और गैर-भ्रामक होनी चाहिए और उसमें कंपनी या लागू कानूनों द्वारा अपेक्षित सभी जोखिम चेतावनियाँ, प्रकटीकरण और अस्वीकरण शामिल होने चाहिए।

7.4 एफ़िलिएट को अनुमोदित प्रचार सामग्री में निहित किसी भी कंपनी लोगो, जोखिम चेतावनी, अस्वीकरण, लिंक या अन्य जानकारी को बदलना, हटाना या छिपाना नहीं चाहिए।

7.5 प्रचार सामग्री और कंपनी का ब्रांड कंपनी की संपत्ति बने रहते हैं। एफ़िलिएट को केवल इस अनुबंध के प्रयोजनों के लिए उनका उपयोग करने का सीमित, गैर-अनन्य, गैर-हस्तांतरणीय और प्रतिसंहरणीय (revocable) अधिकार प्राप्त होता है।

7.6 एफ़िलिएट यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि उसके द्वारा बनाई गई कोई भी सामग्री किसी तृतीय पक्ष के बौद्धिक-संपदा या अन्य अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती।

7.7 कंपनी अपना अनुमोदन वापस ले सकती है या प्रचार सामग्री को संशोधित करने या हटाने की अपेक्षा कर सकती है। एफ़िलिएट को तुरंत या कंपनी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर इसका पालन करना होगा।

7.8 जब यह अनुबंध समाप्त होता है, तो एफ़िलिएट को सभी प्रचार सामग्री, एफ़िलिएट लिंक, कंपनी ब्रांडिंग और कंपनी के साथ संबंध का संकेत देने वाले संदर्भों का उपयोग तुरंत बंद करना होगा और उन्हें हटाना होगा।

7.9 एफ़िलिएट इस अनुबंध की अवधि के दौरान एफ़िलिएट प्रोग्राम के प्रशासन, निगरानी और प्रचार के लिए एफ़िलिएट के अनुमोदित नाम, लोगो और ब्रांड सामग्री का उपयोग करने का गैर-अनन्य और रॉयल्टी-मुक्त अधिकार कंपनी को प्रदान करता है।

8. प्रचार संबंधी प्रतिबंध

8.1 एफ़िलिएट को निम्नलिखित नहीं करना चाहिए:

a) अठारह (18) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों, किसी प्रतिबंधित क्षेत्र या ग्राहक बनने के लिए अपात्र किसी व्यक्ति को लक्षित करना;

b) झूठे या भ्रामक कथन करना, लाभ की गारंटी देना, ट्रेडिंग जोखिमों को कम करके बताना, या नकली समीक्षाओं अथवा प्रशंसापत्रों का उपयोग करना;

c) स्पैम, अवांछित संदेश या ऐसे विपणन संचार भेजना जो लागू कानूनों का अनुपालन नहीं करते;

d) कंपनी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना सशुल्क-खोज (paid search), सशुल्क-सोशल-मीडिया या अन्य सशुल्क विज्ञापन का उपयोग करना;

e) सर्च इंजन या विज्ञापन प्लेटफ़ॉर्म पर “Elefin”, उसके ट्रेडमार्क, उनकी गलत वर्तनियों या समान शब्दों पर बोली लगाना;

f) कंपनी के नाम, ट्रेडमार्क या भ्रम उत्पन्न करने वाले समान शब्दों वाला कोई डोमेन नाम, एप्लिकेशन, सोशल-मीडिया खाता या प्रोफ़ाइल पंजीकृत करना या उसका उपयोग करना;

g) कंपनी वेबसाइट की नकल या अनुकरण करना या किसी एफ़िलिएट साइट को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के रूप में प्रस्तुत करना;

h) ट्रैफ़िक या कमीशन उत्पन्न करने के लिए बॉट, बलपूर्वक क्लिक (forced clicks), कुकी स्टफ़िंग, नकली पंजीकरण, भ्रामक रीडायरेक्ट, मैलवेयर या किसी अन्य कृत्रिम विधि का उपयोग करना;

i) गैरकानूनी, धोखाधड़ीपूर्ण, भेदभावपूर्ण, हिंसक, घृणास्पद, अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री वाली वेबसाइटों या चैनलों पर कंपनी का प्रचार करना;

j) कंपनी द्वारा अनुमोदित किए बिना अनधिकृत बोनस, छूट, उपहार या अन्य प्रोत्साहन प्रदान करना, या किसी ग्राहक के साथ कमीशन साझा करना;

k) अपनी प्रचार गतिविधियों के भाग के रूप में ट्रेडिंग सिग्नल, सिफ़ारिशें या निवेश सलाह प्रदान करना;

l) किसी अन्य एफ़िलिएट के रेफ़रल में हस्तक्षेप करना या मौजूदा ग्राहकों को अपने परिचित ग्राहकों के रूप में दावा करने का प्रयास करना;

m) कंपनी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना कोल्ड कॉलिंग, निजी संदेशों, व्यक्तिगत ईमेल, टेलीफ़ोन कॉल या आमने-सामने के विपणन के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करना; या

n) पार्क किए गए डोमेन, त्रुटि पृष्ठों, पॉप-अप नेटवर्क या कंपनी द्वारा अनुमोदित न किए गए अन्य ट्रैफ़िक स्रोतों के माध्यम से ट्रैफ़िक उत्पन्न करना।

8.2 एफ़िलिएट को स्वयं को स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्र एफ़िलिएट के रूप में प्रस्तुत करना होगा और यह संकेत नहीं देना चाहिए कि वह स्वयं कंपनी है या कंपनी का आधिकारिक प्रतिनिधि है।

8.3 कंपनी अपने प्रतिबंधित क्षेत्रों, निषिद्ध ट्रैफ़िक स्रोतों और विज्ञापन आवश्यकताओं को अद्यतन कर सकती है। नवीनतम आवश्यकताओं की जाँच करने और उनका पालन करने के लिए एफ़िलिएट उत्तरदायी है।

8.4 जहाँ सशुल्क-खोज विज्ञापन अनुमोदित है, वहाँ एफ़िलिएट को "Elefin", उसके ट्रेडमार्क, उनकी गलत वर्तनियों और समान ब्रांड शब्दों को नकारात्मक कीवर्ड (negative keywords) के रूप में जोड़ना होगा।

8.5 इस खंड के उल्लंघन के परिणामस्वरूप परिचित ग्राहकों को हटाया जा सकता है, कमीशन रद्द किया जा सकता है, एफ़िलिएट खाते को निलंबित किया जा सकता है या इस अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

9. डेटा संरक्षण और गोपनीयता

9.1 प्रत्येक पक्ष को गोपनीयता, इलेक्ट्रॉनिक विपणन और व्यक्तिगत जानकारी ("व्यक्तिगत डेटा") के संरक्षण से संबंधित सभी लागू कानूनों का पालन करना होगा।

9.2 एफ़िलिएट व्यक्तिगत डेटा को केवल तभी एकत्र और उपयोग कर सकता है जब यह इस अनुबंध के अंतर्गत उसकी गतिविधियों के लिए आवश्यक हो, और उसके पास वैध कानूनी आधार होना चाहिए, उसे उपयुक्त गोपनीयता सूचना प्रदान करनी होगी और जहाँ आवश्यक हो, सहमति प्राप्त करनी होगी।

9.3 एफ़िलिएट को किसी ग्राहक के ट्रेडिंग क्रेडेंशियल, पहचान दस्तावेज़, भुगतान जानकारी या खाता पहुँच विवरण का अनुरोध, संग्रह या भंडारण नहीं करना चाहिए, जब तक कि कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत न किया गया हो।

9.4 एफ़िलिएट को व्यक्तिगत डेटा को हानि, अनधिकृत पहुँच, प्रकटीकरण, परिवर्तन या दुरुपयोग से बचाने के लिए उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक उपायों का उपयोग करना होगा।

9.5 कंपनी या उसके ग्राहकों से संबंधित किसी वास्तविक या संदिग्ध व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की जानकारी होने के बाद, एफ़िलिएट को बिना अनुचित विलंब के, और जहाँ संभव हो चौबीस (24) घंटों के भीतर, कंपनी को सूचित करना होगा।

9.6 एफ़िलिएट को डेटा-पहुँच अनुरोधों, शिकायतों, जाँचों, सुरक्षा घटनाओं और नियामक आवश्यकताओं के संबंध में कंपनी के साथ सहयोग करना होगा।

9.7 व्यक्तिगत डेटा को किसी अन्य देश में अंतरित नहीं किया जाना चाहिए या किसी तृतीय पक्ष को प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि लागू कानूनों द्वारा अनुमत न हो और उपयुक्त सुरक्षा उपायों द्वारा संरक्षित न हो।

9.8 जब व्यक्तिगत डेटा की अब आवश्यकता न हो, या जब यह अनुबंध समाप्त हो जाए, तो एफ़िलिएट को उसे सुरक्षित रूप से हटाना या लौटाना होगा, जब तक कि कानून द्वारा उसे बनाए रखना आवश्यक न हो।

9.9 जब तक लिखित रूप में अन्यथा सहमति न हो, प्रत्येक पक्ष अपने द्वारा एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा के संबंध में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यदि एफ़िलिएट कंपनी की ओर से व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण करता है, तो कंपनी की लागू डेटा-प्रसंस्करण शर्तें लागू होंगी।

10. गोपनीयता (कॉन्फ़िडेंशियलिटी)

10.1 "गोपनीय जानकारी" का अर्थ है इस अनुबंध के संबंध में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रकट की गई कोई भी गैर-सार्वजनिक व्यावसायिक, वित्तीय, तकनीकी, परिचालन, अनुपालन, ग्राहक, कमीशन या वाणिज्यिक जानकारी।

10.2 प्रत्येक पक्ष को गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखना होगा, उसका उपयोग केवल इस अनुबंध के प्रयोजनों के लिए करना होगा और दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना उसे प्रकट नहीं करना होगा।

10.3 गोपनीय जानकारी उन कर्मचारियों, ठेकेदारों या पेशेवर सलाहकारों के साथ साझा की जा सकती है जिन्हें इस अनुबंध के प्रयोजनों के लिए उसकी आवश्यकता है और जो उपयुक्त गोपनीयता दायित्वों के अधीन हैं।

10.4 गोपनीय जानकारी में ऐसी जानकारी शामिल नहीं है जो:

a) इस अनुबंध के उल्लंघन के बिना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है;

b) प्रकटीकरण से पहले प्राप्तकर्ता पक्ष को वैध रूप से ज्ञात थी;

c) गोपनीय जानकारी का उपयोग किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित की गई है; या

d) गोपनीयता प्रतिबंधों के बिना किसी तृतीय पक्ष से वैध रूप से प्राप्त की गई है।

10.5 जहाँ कानून या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण अपेक्षित है, वहाँ प्राप्तकर्ता पक्ष को, जहाँ कानूनी रूप से अनुमत हो, दूसरे पक्ष को सूचित करना होगा और केवल अपेक्षित जानकारी ही प्रकट करनी होगी।

10.6 अनुरोध किए जाने पर या इस अनुबंध की समाप्ति पर, प्रत्येक पक्ष को दूसरे पक्ष की गोपनीय जानकारी लौटानी होगी या सुरक्षित रूप से नष्ट करनी होगी, सिवाय इसके कि जहाँ कानून द्वारा उसे बनाए रखना आवश्यक हो।

10.7 ये गोपनीयता दायित्व समाप्ति के बाद पाँच (5) वर्षों तक जारी रहते हैं। व्यापार रहस्यों और व्यक्तिगत डेटा से संबंधित दायित्व तब तक जारी रहते हैं जब तक जानकारी लागू कानूनों द्वारा संरक्षित रहती है।

11. निलंबन, संशोधन और समाप्ति

11.1 यह अनुबंध एफ़िलिएट का आवेदन अनुमोदित होने पर आरंभ होता है और इस खंड के अंतर्गत समाप्त किए जाने तक जारी रहता है।

11.2 कंपनी बिना सूचना दिए इस अनुबंध या किसी भी कमीशन योजना में संशोधन कर सकती है। जहाँ लागू कानूनों, किसी नियामक प्राधिकरण, सुरक्षा संबंधी चिंताओं या धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए आवश्यक हो, वहाँ कोई संशोधन तुरंत प्रभावी हो सकता है।

11.3 संशोधन उनकी प्रभावी तिथि से पहले वैध रूप से अर्जित कमीशन को प्रभावित नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि जहाँ कमीशन धोखाधड़ी, दुरुपयोग, उल्लंघन, तकनीकी त्रुटि या गलत गणना के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ हो।

11.4 किसी संशोधन के प्रभावी होने के बाद एफ़िलिएट प्रोग्राम में निरंतर भागीदारी को स्वीकृति माना जाएगा। यदि एफ़िलिएट असहमत है, तो वह प्रभावी तिथि से पहले अनुबंध समाप्त कर सकता है।

11.5 कोई भी पक्ष पाँच (5) कार्य दिवसों की लिखित सूचना देकर बिना कारण इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

11.6 संदिग्ध कदाचार की जाँच के दौरान, या जहाँ एफ़िलिएट कमीशन योजना में बताई गई प्रदर्शन या ट्रैफ़िक-गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, कंपनी एफ़िलिएट खाते, एफ़िलिएट लिंक, नए ग्राहकों के आरोपण या कमीशन भुगतानों को निलंबित कर सकती है।

11.7 कंपनी इस अनुबंध को तुरंत समाप्त कर सकती है यदि एफ़िलिएट:

a) इस अनुबंध का महत्वपूर्ण रूप से या बार-बार उल्लंघन करता है;

b) धोखाधड़ी, दुरुपयोग, चर्निंग, हेरफेर, गैरकानूनी गतिविधि या भ्रामक आचरण में संलग्न होता है;

c) झूठी जानकारी प्रदान करता है या अपेक्षित सत्यापन पूरा करने में विफल रहता है;

d) कोई अपेक्षित लाइसेंस, पंजीकरण या प्राधिकरण खो देता है;

e) गोपनीयता, कॉन्फ़िडेंशियलिटी या बौद्धिक-संपदा संबंधी दायित्वों का उल्लंघन करता है;

f) कंपनी की प्रतिष्ठा या नियामक स्थिति को महत्वपूर्ण क्षति पहुँचाता है;

g) दिवालिया हो जाता है, परिसमापन में प्रवेश करता है या व्यवसाय बंद कर देता है; या

h) कंपनी के लिए कानूनी, नियामक या वित्तीय जोखिम उत्पन्न करता है।

11.8 समाप्ति पर, एफ़िलिएट को कंपनी का प्रचार तुरंत बंद करना होगा और सभी एफ़िलिएट लिंक, प्रचार सामग्री, कंपनी ब्रांडिंग और एफ़िलिएट प्रोग्राम के संदर्भ हटाने होंगे।

11.9 समाप्ति की प्रभावी तिथि से पहले अर्जित वैध कमीशन का भुगतान, सत्यापन और किसी भी अनुमत कटौती के अधीन, साठ (60) दिनों के भीतर किया जाएगा। जहाँ समाप्ति धोखाधड़ी, दुरुपयोग या धारा 6 के अंतर्गत अपवर्जित गतिविधि के परिणामस्वरूप होती है, वहाँ कोई कमीशन देय नहीं होगा।

11.10 समाप्ति के बाद, परिचित ग्राहकों से कोई और कमीशन अर्जित नहीं होगा। कंपनी उन ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करना जारी रख सकती है।

11.11 समाप्ति उन अधिकारों या दायित्वों को प्रभावित नहीं करती जो समाप्ति से पहले उत्पन्न हुए थे। जारी रहने के लिए अभिप्रेत प्रावधान—जिनमें गोपनीयता, डेटा संरक्षण, बौद्धिक संपदा, क्षतिपूर्ति और विवाद संबंधी प्रावधान शामिल हैं—प्रभावी बने रहेंगे।

12. क्षतिपूर्ति

12.1 कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, एफ़िलिएट कंपनी, उसकी संबंधित कंपनियों, निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे, हानि, क्षति, दंड, देयता और उचित कानूनी लागत से क्षतिपूर्ति करेगा और उन्हें हानिरहित रखेगा:

a) एफ़िलिएट द्वारा इस अनुबंध या लागू कानूनों का उल्लंघन;

b) झूठी, भ्रामक, गैरकानूनी या अननुमोदित प्रचार गतिविधियाँ;

c) एफ़िलिएट द्वारा किसी ग्राहक को दिया गया कोई भी अभ्यावेदन, सलाह, वचन या सेवा;

d) एफ़िलिएट द्वारा धोखाधड़ी, लापरवाही या जानबूझकर किया गया कदाचार;

e) बौद्धिक-संपदा या तृतीय-पक्ष अधिकारों का उल्लंघन;

f) व्यक्तिगत डेटा या गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग या अनधिकृत प्रकटीकरण; या

g) कोई भी कर, शुल्क या भुगतान दायित्व जिसके लिए एफ़िलिएट उत्तरदायी है।

12.2 कंपनी इस खंड के अंतर्गत यथोचित रूप से देय किसी भी राशि को कमीशन या एफ़िलिएट को देय अन्य राशियों से काट सकती है।

12.3 एफ़िलिएट को कंपनी के साथ तुरंत सहयोग करना होगा और किसी दावे के संबंध में यथोचित रूप से अपेक्षित कोई भी जानकारी या सहायता प्रदान करनी होगी।

12.4 कंपनी इस खंड के अंतर्गत आने वाले किसी भी दावे के बचाव या निपटान को नियंत्रित कर सकती है। एफ़िलिएट को कंपनी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना कंपनी के नाम पर देयता स्वीकार नहीं करनी चाहिए या ऐसे किसी दावे का निपटान नहीं करना चाहिए।

13. ग्राहक शिकायतें

13.1 कंपनी, उसकी सेवाओं या एफ़िलिएट की गतिविधियों से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने या उसकी जानकारी होने के बाद, एफ़िलिएट को बिना विलंब के, और एक (1) कार्य दिवस के भीतर, कंपनी को लिखित रूप में सूचित करना होगा।

13.2 एफ़िलिएट को ग्राहक को कंपनी के आधिकारिक शिकायत चैनल की ओर निर्देशित करना होगा और अपने स्वयं के संचार को कंपनी की आधिकारिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

13.3 कंपनी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना, एफ़िलिएट को कंपनी की ओर से देयता स्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्षतिपूर्ति की पेशकश नहीं करनी चाहिए, धनवापसी का वचन नहीं देना चाहिए या किसी शिकायत का निपटान नहीं करना चाहिए।

13.4 अनुरोध किए जाने पर, एफ़िलिएट को शिकायत से संबंधित पूर्ण रिपोर्ट और सभी सहायक अभिलेख पाँच (5) कार्य दिवसों के भीतर, या कंपनी द्वारा यथोचित रूप से अपेक्षित किसी भी कम अवधि के भीतर, प्रदान करने होंगे।

13.5 एफ़िलिएट को शिकायतों की जाँच और समाधान में कंपनी के साथ सहयोग करना होगा और सभी प्रासंगिक संचार, विपणन अभिलेखों और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखना होगा।

13.6 एफ़िलिएट के अपने आचरण या सेवाओं से उत्पन्न शिकायत का निपटान एफ़िलिएट द्वारा अपनी लागत पर किया जाएगा। जहाँ शिकायत कंपनी, उसके ग्राहकों या उसके नियामक दायित्वों को प्रभावित कर सकती है, वहाँ कंपनी प्रतिक्रिया में भाग ले सकती है या उसका नियंत्रण ले सकती है।

13.7 एफ़िलिएट को समान शिकायतों को रोकने के लिए कंपनी द्वारा यथोचित रूप से अपेक्षित कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत लागू करनी होगी।

14. सूचनाएँ और संचार

14.1 इस अनुबंध के अंतर्गत कोई भी सूचना या संचार लिखित रूप में होना चाहिए और उसे ईमेल द्वारा, एफ़िलिएट खाते के माध्यम से या कंपनी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा भेजा जा सकता है।

14.2 कंपनी एफ़िलिएट के नवीनतम पंजीकृत ईमेल पते पर सूचनाएँ भेज सकती है, उन्हें एफ़िलिएट खाते में प्रकाशित कर सकती है या कंपनी वेबसाइट पर सामान्य अद्यतन पोस्ट कर सकती है।

14.3 एफ़िलिएट को कंपनी वेबसाइट पर या एफ़िलिएट खाते में कंपनी द्वारा निर्दिष्ट ईमेल पते या संचार चैनल पर सूचनाएँ भेजनी होंगी।

14.4 किसी सूचना को प्राप्त माना जाएगा:

a) जब ईमेल द्वारा भेजी जाए, बशर्ते कोई डिलीवरी-विफलता सूचना प्राप्त न हो;

b) जब एफ़िलिएट खाते में प्रकाशित की जाए; या

c) जब कंपनी वेबसाइट पर पोस्ट की जाए, जहाँ सूचना सामान्य रूप से एफ़िलिएट प्रोग्राम से संबंधित हो।

14.5 एफ़िलिएट को अपनी संपर्क और भुगतान जानकारी सटीक और अद्यतन रखनी होगी। पुरानी या गलत जानकारी के कारण सूचना प्राप्त न होने से उस सूचना की वैधता प्रभावित नहीं होगी।

14.6 टेलीफ़ोन या मैसेजिंग एप्लिकेशन द्वारा किए गए संचार को औपचारिक सूचना नहीं माना जाएगा, जब तक कि किसी अनुमोदित लिखित चैनल के माध्यम से उसकी पुष्टि न की गई हो।

15. संपूर्ण अनुबंध

15.1 यह अनुबंध, लागू कमीशन योजना, परिशिष्टों और इसमें स्पष्ट रूप से समाविष्ट किसी भी दस्तावेज़ के साथ, एफ़िलिएट प्रोग्राम के संबंध में पक्षों के बीच संपूर्ण अनुबंध का गठन करता है।

15.2 यह उसी विषय-वस्तु से संबंधित सभी पिछली चर्चाओं, प्रस्तावों, संचारों, अभ्यावेदनों और अनुबंधों का स्थान लेता है।

15.3 एफ़िलिएट पुष्टि करता है कि उसने किसी ऐसे कथन, वचन या अभ्यावेदन पर भरोसा नहीं किया है जो इस अनुबंध या किसी लागू कमीशन योजना में शामिल नहीं है।

15.4 यदि इस अनुबंध और किसी कमीशन योजना के बीच कोई विरोध है, तो कमीशन योजना केवल कमीशन दरों, गणनाओं, पात्रता शर्तों और भुगतान व्यवस्थाओं पर लागू होगी। अन्य सभी मामलों पर यह अनुबंध लागू होगा।

15.5 एफ़िलिएट या कंपनी के किसी प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी पृथक वचन या संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि कंपनी द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में उसकी पुष्टि न की जाए।

16. एफ़िलिएट के अभ्यावेदन और आश्वासन

16.1 इस अनुबंध में प्रवेश करके और इसकी पूरी अवधि के दौरान, एफ़िलिएट अभ्यावेदन करता है और पुष्टि करता है कि:

a) यदि वह एक व्यक्ति है, तो एफ़िलिएट की आयु कम से कम अठारह (18) वर्ष है और उसके पास पूर्ण कानूनी क्षमता है;

b) यदि वह एक कानूनी संस्था है, तो वह विधिवत स्थापित है, वैध रूप से अस्तित्व में है और अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत है;

c) उसके पास इस अनुबंध में प्रवेश करने और इसका पालन करने का पूर्ण अधिकार है;

d) कंपनी को प्रदान की गई सभी जानकारी और दस्तावेज़ सत्य, पूर्ण और सटीक हैं;

e) उसने अपनी गतिविधियों के लिए अपेक्षित सभी लाइसेंस, पंजीकरण, अनुमोदन और सहमतियाँ प्राप्त कर ली हैं और उन्हें बनाए रखेगा;

f) उसकी गतिविधियाँ, एफ़िलिएट साइटें और प्रचार सामग्री लागू कानूनों का अनुपालन करती हैं और तृतीय-पक्ष अधिकारों का उल्लंघन नहीं करतीं;

g) इस अनुबंध में प्रवेश करने से एफ़िलिएट पर बाध्यकारी किसी अन्य अनुबंध या कानूनी दायित्व का उल्लंघन नहीं होता;

h) वह किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित, स्थापित या वहाँ से संचालित नहीं है और ऐसे प्रतिबंधों या अन्य निषेधों के अधीन नहीं है जो एफ़िलिएट प्रोग्राम में भागीदारी को रोकते हैं; और

i) उसने कंपनी को अपने इच्छित विपणन चैनलों, ट्रैफ़िक स्रोतों और लक्षित क्षेत्रों का प्रकटीकरण कर दिया है।

16.2 यदि धारा 16.1 में दिया गया कोई भी अभ्यावेदन गलत, अपूर्ण या भ्रामक हो जाता है, तो एफ़िलिएट को तुरंत कंपनी को सूचित करना होगा।

16.3 कंपनी इन अभ्यावेदनों के समर्थन में साक्ष्य मांग सकती है और संतोषजनक साक्ष्य प्रदान किए जाने तक एफ़िलिएट खाते या कमीशन भुगतानों को निलंबित कर सकती है।

17. दायित्व की सीमा

17.1 कंपनी यह गारंटी नहीं देती कि कंपनी वेबसाइट, एफ़िलिएट खाता, एफ़िलिएट लिंक, ट्रैकिंग प्रणालियाँ या भुगतान सेवाएँ हमेशा उपलब्ध, निर्बाध, सुरक्षित या त्रुटि-मुक्त रहेंगी।

17.2 कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, कंपनी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी नहीं होगी:

a) कोई भी अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, विशेष या परिणामी हानि;

b) लाभ, राजस्व, व्यवसाय, अवसर, डेटा, प्रतिष्ठा या प्रत्याशित कमीशन की हानि;

c) व्यवधान, विलंब, तकनीकी विफलताएँ, सिस्टम त्रुटियाँ या गलत ट्रैकिंग;

d) किसी ग्राहक, भुगतान प्रदाता, विज्ञापन प्लेटफ़ॉर्म या अन्य तृतीय पक्ष के कार्य या विफलताएँ;

e) गलत लिंक, अवरुद्ध कुकीज़, डिवाइस सेटिंग्स या एफ़िलिएट द्वारा किए गए परिवर्तनों के कारण किसी रेफ़रल को ट्रैक करने में विफलता; या

f) ग्राहक अनुबंध या लागू कानूनों के अनुसार किसी ग्राहक को अस्वीकार, प्रतिबंधित, निलंबित या समाप्त करने का कोई भी निर्णय।

17.3 एफ़िलिएट अपने स्वयं के व्यावसायिक जोखिम पर एफ़िलिएट प्रोग्राम में भाग लेता है। कंपनी किसी न्यूनतम संख्या में रेफ़रल, ग्राहकों, लेनदेनों, कमीशन या आय की गारंटी नहीं देती।

17.4 इस अनुबंध से उत्पन्न या इससे संबंधित कंपनी की कुल देयता, दावे को जन्म देने वाली घटना से ठीक पहले के छह (6) महीनों के दौरान एफ़िलिएट को भुगतान किए गए या देय कुल कमीशन से अधिक नहीं होगी।

17.5 इस अनुबंध में कुछ भी ऐसी देयता को सीमित नहीं करता जिसे कानूनी रूप से अपवर्जित या सीमित नहीं किया जा सकता, जिसमें कंपनी द्वारा धोखाधड़ी या जानबूझकर किए गए कदाचार के लिए देयता शामिल है।

18. अप्रत्याशित घटना (फ़ोर्स मेज्योर)

18.1 कंपनी अपने उचित नियंत्रण से बाहर की किसी घटना के कारण होने वाली किसी भी विफलता, व्यवधान या विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

a) प्राकृतिक आपदाएँ, आग, बाढ़, भूकंप या गंभीर मौसम;

b) युद्ध, आतंकवाद, नागरिक अशांति, प्रतिबंध या सरकारी कार्रवाई;

c) महामारी, वैश्विक महामारी या सार्वजनिक-स्वास्थ्य आपातकाल;

d) हड़ताल, श्रम विवाद या परिवहन व्यवधान;

e) बिजली, इंटरनेट, दूरसंचार, होस्टिंग या सिस्टम विफलता;

f) साइबर हमला, मैलवेयर या अन्य सुरक्षा घटना;

g) बाज़ार का बंद होना, अत्यधिक बाज़ार स्थितियाँ या किसी एक्सचेंज, तरलता प्रदाता, बैंक, भुगतान प्रदाता या अन्य तृतीय पक्ष की विफलता; या

h) कानून, विनियमन में कोई परिवर्तन या किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई।

18.2 किसी अप्रत्याशित घटना के दौरान, कंपनी यथोचित रूप से आवश्यक सीमा तक एफ़िलिएट प्रोग्राम, ग्राहक आरोपण, कमीशन गणना या भुगतानों को निलंबित, विलंबित या संशोधित कर सकती है।

18.3 जहाँ यथोचित रूप से व्यावहारिक हो, कंपनी एफ़िलिएट को सूचित करेगी और जब वह यथोचित रूप से ऐसा करने में सक्षम होगी, तब प्रभावित दायित्वों को पुनः आरंभ करेगी।

18.4 यदि कोई अप्रत्याशित घटना तीस (30) दिनों से अधिक समय तक जारी रहती है, तो कंपनी लिखित सूचना देकर बिना किसी देयता के प्रभावित सेवाओं या इस अनुबंध को समाप्त कर सकती है।

19. पक्षों के बीच संबंध

19.1 एफ़िलिएट एक स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में कार्य करता है। इस अनुबंध में कुछ भी पक्षों के बीच रोज़गार, एजेंसी, साझेदारी, संयुक्त उद्यम, फ़्रैंचाइज़ी या प्रत्ययी (fiduciary) संबंध सृजित नहीं करता।

19.2 एफ़िलिएट को कंपनी को बाध्य करने, उसके नाम पर अनुबंध करने, दायित्व सृजित करने, ऋण की पेशकश करने, प्रतिबद्धताएँ करने या कंपनी की ओर से देयता स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है।

19.3 एफ़िलिएट इस बात के लिए उत्तरदायी है कि वह अपनी गतिविधियाँ किस प्रकार संचालित करता है, जिसमें उसके कर्मी, कार्य व्यवस्थाएँ, व्यावसायिक व्यय, कर और कानूनी दायित्व शामिल हैं। एफ़िलिएट कंपनी से कर्मचारी लाभों का हकदार नहीं है।

19.4 यह संबंध गैर-अनन्य है। कंपनी अन्य एफ़िलिएट नियुक्त कर सकती है, और एफ़िलिएट अन्य व्यवसायों के साथ काम कर सकता है, बशर्ते ऐसा करने से इस अनुबंध का उल्लंघन न हो या कंपनी की गोपनीय जानकारी अथवा बौद्धिक संपदा का दुरुपयोग न हो।

19.5 एफ़िलिएट को कंपनी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए किसी सब-एफ़िलिएट, रेफ़रल एजेंट, उप-ठेकेदार या अन्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं करना चाहिए। किसी भी अनुमोदित व्यक्ति के सभी कार्यों और लोपों के लिए एफ़िलिएट उत्तरदायी बना रहता है।

20. समनुदेशन और अंतरण

20.1 कंपनी एफ़िलिएट की सहमति की आवश्यकता के बिना, इस अनुबंध के अंतर्गत अपने किसी भी या सभी अधिकारों और दायित्वों को किसी संबंधित कंपनी, उत्तराधिकारी, सेवा प्रदाता या उसके व्यवसाय का पूर्ण अथवा आंशिक भाग अधिग्रहित करने वाले किसी भी व्यक्ति को समनुदेशित, अंतरित, नवीकृत (novate) या प्रत्यायोजित कर सकती है।

20.2 ऐसे अंतरण के संबंध में, कंपनी लागू कानूनों के अनुसार संबंधित एफ़िलिएट जानकारी, सत्यापन अभिलेख, संचार, भुगतान विवरण और कमीशन शेष अंतरित कर सकती है।

20.3 एफ़िलिएट को कंपनी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना इस अनुबंध के अंतर्गत किसी भी अधिकार या दायित्व को समनुदेशित, अंतरित, प्रत्यायोजित, उप-अनुबंधित या अन्यथा निपटान नहीं करना चाहिए।

20.4 अनुमोदन के बिना एफ़िलिएट द्वारा किया गया अंतरण का कोई भी प्रयास प्रभावहीन होगा। किसी कॉर्पोरेट एफ़िलिएट के स्वामित्व या नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन को ऐसा अंतरण माना जाएगा जिसके लिए कंपनी का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

21. पृथक्करणीयता और अधित्याग का अभाव

21.1 यदि इस अनुबंध का कोई प्रावधान अमान्य, गैरकानूनी या अप्रवर्तनीय पाया जाता है, तो उसे आवश्यक न्यूनतम सीमा तक संशोधित किया जाएगा या हटा दिया जाएगा। शेष प्रावधान पूर्ण रूप से प्रभावी बने रहेंगे।

21.2 किसी भी पक्ष द्वारा किसी अधिकार या उपचार का प्रयोग करने में विफलता या विलंब उस अधिकार या उपचार का अधित्याग (waiver) नहीं माना जाएगा।

21.3 कोई भी अधित्याग लिखित रूप में दिया जाना चाहिए और वह केवल उसी विशिष्ट मामले पर लागू होगा जिसके लिए वह दिया गया था। एक उल्लंघन का अधित्याग किसी भावी उल्लंघन का अधित्याग नहीं माना जाएगा।

21.4 इस अनुबंध के अंतर्गत उपलब्ध अधिकार और उपचार संचयी हैं और लागू कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी अधिकार या उपचार को अपवर्जित नहीं करते।

22. लागू कानून और क्षेत्राधिकार

22.1 यह अनुबंध और इससे उत्पन्न कोई भी संविदात्मक या गैर-संविदात्मक विवाद सेंट लूसिया के कानूनों द्वारा शासित होगा।

23. भाषा

23.1 यह अनुबंध अंग्रेज़ी में किया गया है।

23.2 कोई भी अनुवाद केवल सुविधा के लिए प्रदान किया जाता है। यदि कोई अंतर या असंगति है, तो अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।

24. उत्तरजीविता

24.1 कोई भी प्रावधान जो अपनी प्रकृति से समाप्ति के बाद भी जारी रहने के लिए अभिप्रेत है, प्रभावी बना रहेगा, जिसमें कमीशन समायोजन, गोपनीयता, डेटा संरक्षण, बौद्धिक संपदा, क्षतिपूर्ति, दायित्व की सीमा और लागू कानून से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

24.2 समाप्ति किसी भी पक्ष को समाप्ति तिथि से पहले उत्पन्न किसी भी अधिकार, दायित्व या देयता से मुक्त नहीं करेगी।

25. एफ़िलिएट के प्रकार और कमीशन मॉडल

25.1 कंपनी निम्नलिखित में से एक या अधिक कमीशन मॉडल प्रदान कर सकती है:

a) ट्रेडिंग कमीशन: परिचित ग्राहकों द्वारा पूर्ण किए गए पात्र लेनदेनों पर आधारित भुगतान;

b) कॉस्ट पर एक्विज़िशन (CPA): प्रत्येक योग्य ग्राहक के लिए एक निश्चित भुगतान;

c) कॉस्ट पर लीड (CPL): लागू आवश्यकताओं को पूरा करने वाले किसी पात्र संभावित ग्राहक के लिए एक निश्चित भुगतान;

d) रेवेन्यू शेयर: परिचित ग्राहकों द्वारा उत्पन्न पात्र शुद्ध राजस्व का एक प्रतिशत;

e) हाइब्रिड: दो या अधिक कमीशन मॉडलों का संयोजन;

f) सब-एफ़िलिएट कमीशन: किसी अनुमोदित सब-एफ़िलिएट या रेफ़रल एजेंट के माध्यम से उत्पन्न पात्र गतिविधि पर आधारित भुगतान;

g) कॉस्ट पर इंस्टॉल (CPI): लागू आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कंपनी के अनुमोदित एप्लिकेशन के प्रत्येक वैध इंस्टॉलेशन के लिए भुगतान;

h) कॉस्ट पर मिल (CPM): प्रत्येक एक हज़ार वैध विज्ञापन इम्प्रेशन के लिए भुगतान; या

i) फ़्लैट फ़ीस: कंपनी द्वारा अनुमोदित निर्दिष्ट प्रचार सेवाओं या अभियानों के लिए एक निश्चित भुगतान।

25.2 एफ़िलिएट पर लागू कमीशन मॉडल, उसकी दरों, पात्रता शर्तों और भुगतान व्यवस्थाओं के साथ, एफ़िलिएट खाते में प्रदर्शित किया जाएगा या कंपनी द्वारा अन्यथा सूचित किया जाएगा।

25.3 किसी भी कमीशन मॉडल में भागीदारी के लिए कंपनी का अनुमोदन आवश्यक है। एफ़िलिएट को किसी विशेष मॉडल में भाग लेने का कोई स्वचालित अधिकार नहीं है।

25.4 जब तक कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए, एक ही ग्राहक या गतिविधि पर केवल एक कमीशन मॉडल लागू होगा, और कोई दोहरा कमीशन देय नहीं होगा।

25.5 कंपनी प्रदर्शन, ट्रैफ़िक गुणवत्ता, अनुपालन या वाणिज्यिक आवश्यकताओं के आधार पर एफ़िलिएट के कमीशन मॉडल में परिवर्तन कर सकती है। कोई भी परिवर्तन उसकी प्रभावी तिथि से भावी पात्र गतिविधि पर लागू होगा।

26. सब-एफ़िलिएट और रेफ़रल एजेंट

26.1 "रेफ़रल एजेंट" या "सब-एफ़िलिएट" का अर्थ है किसी एफ़िलिएट के माध्यम से या उसकी ओर से संभावित ग्राहकों का परिचय कराने के लिए अनुमोदित व्यक्ति।

26.2 एफ़िलिएट को कंपनी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना किसी रेफ़रल एजेंट या सब-एफ़िलिएट को नियुक्त नहीं करना चाहिए। कंपनी उस व्यक्ति से पंजीकरण, सत्यापन और स्वीकृति प्रक्रियाएँ पूरी करने की अपेक्षा कर सकती है।

26.3 एफ़िलिएट यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि प्रत्येक अनुमोदित रेफ़रल एजेंट या सब-एफ़िलिएट इस अनुबंध, लागू कानूनों और कंपनी की प्रचार आवश्यकताओं का पालन करे।

26.4 परिचित ग्राहकों और कमीशन का आरोपण कंपनी के ट्रैकिंग अभिलेखों और लागू कमीशन योजना के अनुसार किया जाएगा।

26.5 जब तक कंपनी प्रत्यक्ष भुगतान करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत न हो, किसी रेफ़रल एजेंट या सब-एफ़िलिएट के साथ सहमत किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए एफ़िलिएट उत्तरदायी है।

26.6 कंपनी एफ़िलिएट और किसी रेफ़रल एजेंट या सब-एफ़िलिएट के बीच किसी भी निजी व्यवस्था में पक्षकार नहीं है और उसे लागू करने या संबंधित भुगतान विवादों का समाधान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

26.7 कंपनी किसी भी समय किसी भी रेफ़रल एजेंट या सब-एफ़िलिएट को अस्वीकार, निलंबित, अलग या समाप्त कर सकती है। मुख्य एफ़िलिएट के अनुबंध की समाप्ति से कोई भी संबंधित सब-एफ़िलिएट व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी, जब तक कि कंपनी अन्यथा निर्णय न ले।